पंचायत समिति सुलह (भेडू महादेव) विकास खण्ड सुलह, जिला काँगडा के लेखाओं का अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2016 से 03/2021 तक

भाग –1

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एंव उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-5C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, पंचायत समिति सुलह स्थित भेडू महादेव, जिला काँगडा के अवधि 04/2016 से 03/2021 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत समिति सुलह में निम्नलिखित अध्यक्ष/खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत थे:–

अध्यक्ष :–

क्र0	नाम	अवधि
1	श्री सुनील कुमार	01.04.2016 से 22.01.2021
2.	श्रीमति कुसुम लता	23.01.2021 से 31.03.2021

खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी :–

क्र0	नाम	अवधि
1	श्री संजीव ठाकुर	01.04.2016 से 05.10.2016
2.	श्री राज कुमार, अधीक्षक, अतिरिक्त कार्यभार	17.10.2016 से 07.11.2016
3.	श्री जगदेव चन्द	07.11.2016 से 28.02.2017
4.	श्री राज कुमार, अधीक्षक, अतिरिक्त कार्यभार	04.03.2017 से 06.03.2017

5.	श्रीमति सुषमा देवी	07.03.2017 से 31.03.2017
6.	श्री सिकन्दर	01.04.2017 से 01.09.2017
7.	श्री राज कुमार, अधीक्षक, अतिरिक्त कार्यभार	11.09.2017 से 21.01.2018
8.	श्री सिकन्दर	22.01.2018 से 22.02.2019
9.	श्री राज कुमार, अधीक्षक, अतिरिक्त कार्यभार	23.02.2019 से 08.07.2019
10.	श्री सिकन्दर	09.07.2019 से 31.03.2021

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1.	श्री विजय कुमार	01.04.2016 से 31.01.2017
2.	श्री महिन्दर पाल (उप निरीक्षक) अतिरिक्त कार्यभार	01.02.2017 से 28.01.2018
3.	श्री संजय शर्मा	29.01.2018 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

पंचायत समिति सुलह, विकास खण्ड सुलह, जिला कागड़ा के अवधि 04/2016 से 03/2021 के लेखाओं के अंकेक्षण एंव निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :—

क्रम संख्या	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	1.85
2	6	अनुदान की राशि का उपयोग न करना	183.23
3	7	कैन्टीन किराए की राशि की वसूली न करना	0.02

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :—

पंचायत समिति सुलह, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा के अवधि 04/2016 से 03/2021 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी एवं श्री सुनील दत्त द्वारा दिनांक 17/07/2021 से 27/07/2021 तक पंचायत समिति सुलह के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 2/2017, 01/2018, 12/2018, 12/2019 व 3/2021 एवं व्यय के लिए माह 06/16, 11/17, 07/18, 04/19 व 11/2020 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी/सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि॰प्र॰ राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

पंचायत समिति सुलह, विकास खण्ड सुलह (भेडू महादेव), जिला काँगड़ा के अवधि 04/2019 से 03/2021 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹14400/— बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं॰ 306 दिनांक 27/07/2021 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति सुलह से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

पंचायत समिति सुलह, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति की अवधि 4/2016 से 03/2021 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :–

4.1 स्व स्त्रोत व अनुदान :–

पंचायत समिति सुलह के अवधि 04/2016 से 03/2021 तक स्व स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है :–

स्व स्त्रोत व अनुदानः– **(परिशिष्ट–1)**

वर्ष	अथशेष	पावतियां	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तशेष
2016–17	6295583	7964543	0	14260126	7373335	6886791
2017–18	6886791	9376358	168302	16431451	7659986	8771465
2018–19	8771465	27824181	0	36595646	27274411	9321235
2019–20	9321235	39996406	586653	49904294	39306987	10597307
2020–21	10597307	46324081	430054	57351442	39028295	18323147

1. रोकड़ बही की विवरणीः–

दिनांक 31.03.2021 को रोकड़ बही के अनुसार वास्तविक अन्तशेष :	18502502.00
नोटः– अंकेक्षण के द्वारा की गई गणना के अनुसार अन्तशेष :	18323147.00
अन्तर :–	179355.00

अन्तर का कारणः–

1. माह 07/2020 व 01/2021 में क्रमशः 1355 व 178000 व्यय की राशियां रोकड़ बही में दर्ज की गई परन्तु इन्हें अन्तशेष से नहीं घटाया गया ।

2. अन्तशेष का विवरण :–

दिनांक 31.03.2021 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष :–			18502502.00
दिनांक 31.03.2021 को बैंक के अनुसार जमा राशियों का विवरण			
1.	केसीसीबी सुलह	20124002645	16349443
2.	–यथोपरि–	50058036812	334127

3.	–यथोपरि–	50051972543	2397375
4.	–एचडीएफसी सुलह	50100373428052	276686
5.	–यथोपरि–	5501000008634445	168200
6.	एक्सिस बैंक	920010041696703	3343897
		कुल योग	**22867728**
		अन्तर :–	**4365226.00**

नोटः– वित्तीय स्थिति के आंकड़ों में स्व–रत्रोत से सम्बन्धित कोई भी आय अंकेक्षण अवधि के दौरान अर्जित नहीं की गई है । स्वः स्त्रोत से केवल व्यय की कुछ प्रविष्टियां है जिन्हें अनुदानों के व्यय के साथ जोड़ कर दर्शाया गया है तथा यह व्यय अनुदानों से अर्जित ब्याज में से किया गया है ।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹43.65 लाख का अन्तरः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(10) के अनुसार पंचायत समिति की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है जबकि पंचायत समिति की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था जिस कारण से दिनांक 31.3.2021 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹43,65,226/– का अन्तर पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 302 दिनांक 24.07.2021 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेत कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र सं0 2414 दिनांक 26.07.21 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अन्तर की राशि की जांच करने के पश्चात वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया जाएगा । अतः अतिशीघ्र अन्तर का मिलान किया जाए एवं भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाएें ।

4.3 नियमों के अनुसार खाता "क" (स्वः स्त्रोत) एवं खाता "ख" (अनुदान) न खोलनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4, 21 एवं 22 के अनुसार पंचायत समिति में आय—व्यय के रख—रखाव हेतु खाता "क" स्व स्त्रोत एवं खाता "ख" अनुदान का प्रावधान रखा गया है लेकिन जांच में पाया गया कि पंचायत समिति संलह (भेडू महादेव) में स्वः स्त्रोत एवं अनुदान के रख—रखाव हेतु एक ही खाता खोला गया था जोकि नियमों के अनुसार अनियमित है । अतः नियमों के अनुसार स्वः स्त्रोत एवं अनुदान हेतु पृथक—2 खाता "क" एवं "ख" खोला जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.4 जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही से दिनांक जुलाई,20 एवं जनवरी 2021 में क्रमशः ₹1355/— व ₹178000/—का व्यय किया गया दर्शाया गया था उक्त राशियों को बैंक से भी निकाला जा चुका है परन्तु रोकड़ बही के अन्तशेष से इन राशियों को घटाया नहीं गया था जिसके कारण दिनांक 31.3.2021 को जो रोकड़ बही अनुसार अन्तशेष राशि बचती है व वास्तव में ₹179355/—(178000+1355) से कम है । इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इन राशियों को कम करके रोकड़ बही का अन्तशेष निकाला जाए ।

5 ₹1.85 लाख के निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट एवं लेख, सकर्म, कराधान व भत्ते) अधिनियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायतों को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है जिसके लिए अनुदान मंजूर किया गया है एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह में निम्नलिखित अनुदान पंचायत समिति द्वारा विकास खण्ड सुलह (भेडू महादेव) की विभिन्न पंचायतों को जारी किए गए थे लेकिन इन कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे । अंकेक्षण अधियाचना सं0 299 दिनांक 23.07.2021 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया था

जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्याः 2408 (क) दिनांक 24.07.2021 द्वारा कुछ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए लेकिन निम्न विवरणानुसार ₹185000/–के कार्य से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें अतिशीघ्र सम्बन्धित विभागों से प्राप्त किया जाए तथा तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

क्र0सं0	कार्य का नाम	पंचायत का नाम	राशि (₹)
1.	प्रोवाईडिगं एवं फिक्सिगं बैंचिज 2x7	खैरा	90000
2.	इन्स्टालेशन ऑफ सोलर लाईट	पुड़वा	95000
		कुल योग	**₹185000**

6 ₹183.23 लाख की अनुदान राशि का उपयोग न करनाः–

अंकेक्षण अवधि में पंचायत समिति सुलह में विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत विकास खण्ड सुलह की विभिन्न पंचायतों में निर्माण कार्य हेतु ₹18323147/– के अनुदान की राशि दिनांक 31.3.2021 को शेष बची थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट '1'** में दिया गया है । अंकेक्षण में पाया गया कि निर्माण कार्यों का निष्पादन लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी नहीं किया गया था एवं न ही पंचायत समिति के पदाधिकारियों ने कार्य के शीघ्र निष्पादन हेतु कोई कार्यवाही की गई । जिस कारण से एक तो पंचायत के लोगों को निर्माण कार्यों से प्राप्त होने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ा एवं निर्धारित उद्वेश्यों की पूर्ति भी नहीं हो सकी। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 301 दिनांक 24.07.2021 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/अपने पक्ष रखने बारे कहा गया जिसका मुख्यकार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति द्वारा दिनांक 26.07. 2021 को पत्र सं0 2413 द्वारा उत्तर दिया गया कि उक्त राशि का उपयोग औपचारिकताऐं पूर्ण करने के उपरान्त कर दिया जाऐगा तथा कुछ निर्माण कार्यों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिन्हें शीघ्र पूरा कर लिया जाऐगा ।

अतः अनुदान की राशि विहित अवधि के दौरान पूर्ण न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इस राशि का प्रर्त्यपण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

7 कैन्टीन किराए के रूप में राशि ₹0.02 लाख की वसूली न करने बारे ।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत समिति सुलह द्वारा अपने भवन के एक कमरे को कैन्टीन के रूप में ₹150/–मासिक की दर दिनांक जनवरी 2020 से किराए के रूप में दिया गया है जबकि उक्त किराएदार द्वारा सम्बन्धित भवन को किराए पर लेने के पश्चात एक बार भी कमरे का किराया भुगतान नहीं किया गया जिसके बारे में अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्याः 303 दिनांक 24.07.2021 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी से चल व अचल सम्पति बारे पूछा गया था जिसके उत्तर में दिनांक 27.7.2021 को अपने पत्र संख्याः द्वारा उक्त कमरे के किराए की वसूली कोविड–19 की वजह से न करने बारे कहा गया । अतः सम्पूर्ण अवधि 15 माह के किराए के रूप में ₹2250/–की वसूली सम्बन्धित किराएदार से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये।

8. पंचायत समिति की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार सावधि जमा में निवेश न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) अधिनियम 2002 के नियम 26 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके परन्तु पंचायत समिति द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत समिति के पास प्रतिवर्ष निधियों मे समुचित राशि उपलब्ध थी। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए

भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनशिचित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

9. सेवा पुस्तिकाओं को नियमानुसार पूर्ण न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग सभी सेवा पुस्तिकाओं एवं सम्बन्धित निजि नस्तियां नियमानुसार किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं की गई थी जिससे उनकी पूर्ण जांच सम्भव नहीं हो सकी । अंकेक्षण के दौरान मौखिक तौर सम्बन्धित कर्मचारी को इन्हें पूर्ण करने हेतु कहा गया था । अंकेक्षण समाप्ति तक सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इनसे सम्बन्धित कोई कार्यवाही न करके इनसे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः सेवा पंजिकाओं एवं सम्बन्धित निजि नस्तियों को नियमानुसार सभी तरह से पूर्ण करके हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) अधिनियम 2002 के नियम 52 व 54 इत्यादि के प्रावधानों अनुसार सम्बन्धित अभिलेख से समर्थित करते हुए कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) अधिनियम 2002 के नियम 29 से 31 के अर्न्तगत पंचायत समिति द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखें व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना
2. रसीद बुकों का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना ।

11. भण्डार रजिस्टर का उचित रख–रखाव न करना :–

बिल वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत समिति सुलह में भण्डार रजिस्टरों का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है जबकि अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखन सामग्री से सम्बन्धित कई बिल अभिलेख में पाए जिनके द्वारा

लेखन सामग्री खरीद कर प्रयोग कर ली गई है जबकि नियमानुसार खरीदे गए प्रत्येक मद का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर पर किया जाना था तत्पश्चात इसे जारी करके प्रयोग में लाया जाना था । अतः नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव न करने का कारण स्पष्ट किया जाए व शीघ्र इनका रख–रखाव नियमानुसार करके आगामी अंकेक्षण पर जांच करवा ली जानी सुनिश्चित करवाई जाए ।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका** :—यह अलग से जारी नहीं की गई है ।

13 **निष्कर्ष** :—लेखों के रख–रखाव व नियमों की अनुपालना में सुधार की अत्याधिक आवश्यकता है ।

(अनिल शर्मा)
उप निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

अं0/उ0
5898-5900 27 DEC 2021

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15) (2) 302/21 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा जिला कांगड़ा हि0प्र0।
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें। (पंजीकृत)

27 DEC 2021

अं0/उ0

(अनिल शर्मा)
उप निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

-8-

परिशिष्ट-I

पप -4,6

Financial Position

PANCHAYAT SAMITI SULLAH AT BHEDU MAHADEV FOR THE YEAR 4/2016 TO 31.03.2021

MONTH/YEAR	O.B.	TOTAL RECEIPT	INTEREST	TOTAL	EXPENDITURE	BALANCE	Remarks
2016-17	6295583	7964543	0	14260126	7373335	6886791	
2017-18	6886791	9376358	168302	16431451	7659986	8771465	
2018-19	8771465	27824181	0	36595646	27274411	9321235	
2019-20	9321235	39996406	586653	49904294	39306987	10597307	
2020-21	10597307	46324081	430054	57351442	39028295	18323147	

-20-

Section Officer
H.P. State Audit Department
Shimla - 09

Chief Executive Officer
Panchayat Samiti
Sullah at Bhedu Mahadev

Financial Position Fund wise

PANCHAYAT SAMITI SULLAH AT BHEDU MAHADEV FOR THE YEAR 4/2016 TO 31.03.2021

MONTH/YEAR	Grant	O.B.	TOTAL RECEIPT	INTEREST	TOTAL	EXPENDITURE	BALANCE
2016-17	3rd state GIA, Salary of Panchayat Official	6295583	7964543	0	14260126	7373335	6886791
2017-18	3rd state GIA, Salary of Panchayat Official, 5th state fin.comm.	6886791	9376358	168302	16431451	7659986	8771465
2018-19	3rd state GIA, Salary of Panchayat Official 5th state fin.comm.	8771465	27824181		36595646	27274411	9321235
2019-20	3rd state GIA, Salary of Panchayat Official 5th state fin.comm.	9321235	39996406	586653	49904294	39306987	10597307
2020-21	3rd state GIA, Salary of Panchayat Official, 15th Fin.comm. SF	10597307	46324081	430054	57351442	39028295	18323147

Section Officer
H.P. State Audit Department
Shimla - 09

Chief Executive Officer
Panchayat Samiti
Sullah at Bhedu Mahadev

-21-

PANCHAYAT SAMITI SULLAH AT BHEDU MAHADEV FOR THE YEAR 4/2016 TO 31.03.2021

2016-17

MONTH/YEAR	O.B.	TOTAL RECEIPT	INTEREST	EXPENDITURE	BALANCE	Remarks
Apr-16	6295583	304118	0	439279	6160422	
May-16	6160422	1278361	0	438727	7000056	
Jun-16	7000056	1023137	0	947769	7075424	
Jul-16	7075424	304118	0	893955	6485587	
Aug-16	6485587	1029058	0	667655	6846990	
Sep-16	6846990	0	0	520220	6326770	
Oct-16	6326770	40000	0	490765	5876005	
Nov-16	5876005	1444296	0	545046	6775255	
Dec-16	6775255	797592	0	744753	6828094	
Jan-17	6828094	750	0	496217	6332627	
Feb-17	6332627	1573994	0	514116	7392505	
Mar-17	7392505	169119	0	674833	6886791	
	Total	**7964543**	**0**	**7373335**		

2017-18

Apr-17	6886791	450873	0	773399	6564265	
May-17	6564265	1270447	0	425164	7409548	
Jun-17	7409548	0	0	0	7409548	
Jul-17	7409548	0	0	0	7409548	
Aug-17	7409548	0	0	0	7409548	
Sep-17	7409548	0	0	1034212	6375336	
Oct-17	6375336	5000	0	431423	5948913	
Nov-17	5948913	1284594	0	1533704	5699803	
Dec-17	5699803	2061667	168302	684505	7245267	
Jan-18	7245267	2327255	0	1123113	8449409	
Feb-18	8449409	0	0	684545	7764864	
Mar-18	7764864	1976522	0	969921	8771465	
	Total	**9376358**	**168302**	**7659986**		

2018-19

Apr-18	8771465	184219	0	885414	8070270	
May-18	8070270	2179086	0	1213640	9035716	
Jun-18	9035716	5627857	0	748944	13914629	
Jul-18	13914629	942286	0	5589544	9267371	
Aug-18	9267371	1946662	0	2029699	9184334	
Sep-18	9184334	1537464	0	803430	9918368	
Oct-18	9918368	3521721	0	4902561	8537528	
Nov-18	8537528	957517	0	1095770	8399275	
Dec-18	8399275	6390530	0	3987365	10802440	
Jan-19	10802440	1100368	0	2338297	9564511	
Feb-19	9564511	1519385	0	1972233	9111663	

Mar-19	9111663	1917086	0	1707514	9321235	
	Total	**27824181**	**0**	**27274411**		
2019-20						
Apr-19	9321235	4965921	0	4809423	9477733	
May-19	9477733	406318	0	1815233	8068818	
Jun-19	8068818	5086214	0	3785427	9369605	
Jul-19	9369605	3196411	0	**3351771**	9214245	
Aug-19	9214245	3306616	0	3334345	9186516	
Sep-19	9186516	2818378	0	2977715	9027179	
Oct-19	9027179	3198433	315673	**3640982**	8900303	
Nov-19	8900303	2215437	0	2312195	8803545	
Dec-19	8803545	6001380	0	3403961	11400964	
Jan-20	11400964	3062682	129083	3672603	10920126	
Feb-20	10920126	2679461	0	3517988	10081599	
Mar-20	10081599	3059155	141897	2685344	10597307	
	Total	**39996406**	**586653**	**39306987**		

2020-21

Apr-20	10597307	3590338	0	2128763	12058882	
May-20	12058882	2108411	0	2022260	12145033	
Jun-20	12145033	2763260	0	4575608	10332685	
Jul-20	10332685	5030707	141146	4504446	11000092	1355
Aug-20	11000092	2294967	0	2326693	10968366	
Sep-20	10968366	3334818	0	3627184	10676000	
Oct-20	10676000	2981877	0	3465454	10192423	
Nov-20	10192423	5220249	0	5204430	10208242	
Dec-20	10208242	0	0	1870737	8337505	
Jan-21	8337505	324721	0	1950529	6711697	178000
Feb-21	6711697	6289906	288908	4163603	9126908	
Mar-21	9126908	12384827	0	3188588	18323147	
	Total	**46324081**	**430054**	**39028295**		

Section Officer
H.P. State Audit Department
Shimla - 09

Balance as per bank Pass book as on 31.03.2021 in R/o Dev. Block Sullah.

SR No.	Name of Bank	Account No	Balance as 31.03.2121
1	KCCB Sullah	20124002645	16349443
2	-do-	50058036812	334127
3	-do-	50051972543	2397375
4	HDFC Sullah	5010037342 8052	276686
5	HDFC Sullah	5501003086 34445	166200
6	Axis Bank	9200100 41696703	3343897
		Total	**22867728**

Section Officer
H.P. State Audit Department
Shimla - 09